रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278069
CG-DL-E-19112026-278069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 682] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2026

"राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) (संशोधन) विनियम, 2026"

फा.स. यू-15024-1-2026-यूजीएमईबी.— राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 24 की उपधारा (1) और धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, एतद्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) विनियम, 2021 के खंड 4 के उपखंड (ख), जिसे भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-III, खंड-4 में दिनांक 18.11.2021 को [भाग III-खंड 4] [फा.सं.विज्ञापन-III/4/असा./ 446/2021-22] के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित **मसौदा विनियम** बनाता है, अर्थात्:-

1. (i) इन विनियमों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) विनियम, 2021 के खंड 4 के उपखंड (ख) में —

"संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय में पंजीकरण न कराया हो या अन्यथा उस देश के अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए सक्षम न हो, जिसमें आयुर्विज्ञान डिग्री प्रदान की गई हो और उस देश के नागरिक को दिए गए, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के समतुल्य हो;"

को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"उस देश में संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय में पंजीकरण न कराया हो"

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./453/2026-27]

मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III—खंड 4 में अधिसूचना संख्या 581, दिनांक 18 नवंबर, 2021 (सं. यूजीएमईबी/एनएमसी/ रूल्स एंड रेगुलेशंस/2021) के तहत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) विनियम, 2021 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है। खंड 4 के उप-खंड (ख) में संशोधन करने वाला **मसौदा** विनियम निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और इससे प्रभावित होने वाले सभी हितधारकों की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि **मसौदा विनियमों** (संशोधन) पर विचार, उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात, किया जाएगा, जिस तारीख को इन मसौदा विनियमों (संशोधन) की प्रतियाँ भारत के राजपत्र में सार्वजनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं।

उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो उसे नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में उप सचिव (यूजीएमईबी), एनएमसी, कमरा नंबर 106, केबिन नंबर 127 बी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1. नई दिल्ली-77 के पते पर भेजा जा सकता है, या (ug.fmgl.amend2026@nmc.org.in) पर ईमेल किया जा सकता है:

आपत्तियां और सुझाव **केवल** उपरोक्त ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएं और किसी अन्य माध्यम जैसे भौतिक रूप या अन्य माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट **https://www.nmc.org.in** पर उपलब्ध होगा।

आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने का प्रारूप

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम और पता, संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी	मसौदा विनियमों का संबंधित प्रावधान	आपत्तियां /सुझाव	तर्क	टिप्पणी

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2026

"National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate)

(Amendment), Regulations 2026"

F. No. U-15024-1-2026-UGMEB.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 and clauses (h), (i), (j), (k), (o), (p), (q), (r) and (s) of sub-section (2) of section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following **draft** Regulations to amend the Sub clause (b) of Clause 4 of the National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) Regulations, 2021 notified in Extraordinary Gazette of India Part-III Section 4 vide [PART III—SEC.4] [F. No. ADVT.- III/4/Exty./446/2021-22] dated 18.11.2021 namely:-

1. (i) These regulations may be called the National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) (Amendment) Regulations, 2026.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 . In the National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) Regulations, 2021, in sub-clause (b) of Clause 4:

"registered with the respective professional regulatory body or otherwise, competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country"

shall be substituted as under:

"registered with the respective professional regulatory body in that country".

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./453/2026-27]

The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, PART III- Section 4, vide notification No.581 dated 18 November, 2021 (No.UGMEB/NMC/Rules & Regulations/2021).

The National Medical Commission proposes certain amendment to National

Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) Regulations, 2021. The draft regulation amending the sub clause (b) of clause 4 has been prepared and approved by the competent authority following due procedure and is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulation (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by National Medical Commission.

Objections and suggestions if any, may be addressed to the Deputy Secretary (UGMEB), NMC, Room No. 106, Cabin No. 127 B, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by email at (ug.fmgl.amend2026@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent only on the above e-mail ID and the objections/ suggestions received in any other means i.e physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website: https://www.nmc.org.in

Format for seeking Suggestion/Comments

SI. No.	Name & Address of the person/ organization Contact Number, e-mail ID	Relevant Section in the Draft Notification on which comments are being provided	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA